R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XI ◆ अंक 11
मई 2015

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

ऋण धोखाधड़ी पर कार्रवाई करना

रिज़र्व बैंक ने ऋण धोखाधड़ी से निपटने के लिए फ्रेमवर्कट तैयार किया है और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) एवं चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया है कि वे इस फ्रेमवर्क को 07 मई 2015 से लागू करें। इस फ्रेमवर्क को एक ऐसे आंतरिक कार्यदल (आईडब्ल्यूजी) की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है जिसने वित्तीय क्षेत्र में ऋण धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को लेकर बढ़ती चिंता को ध्यान में रखते हुए बैंकों में धोखाधडियों की रोकथाम, समय पूर्व पहचान एवं रिपोर्टिंग संबंधी मुद्दों पर विचार किया है। इस फ्रेमवर्क के व्यापक दिशानिर्देशों के अंतर्गत निम्लिखित मदें शामिल हैं :

उद्देश्य

आम तौर पर धोखाधड़ी, विशेष रूप से ऋण संविभाग में धोखाधडियों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर इस फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य है : (i) ऐसे मामलों की रोकथाम, जल्दी पहचान, रिज़र्व बैंक (प्रणाली स्तर पर समेकन, निगरानी एवं प्रसारण के लिए) एवं जांच एजेंसियों (धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई आरंभ करने के लिए) को तत्काल रिपोर्ट करना तथा (ii) स्टाफ की जवाबदेही तय करने के लिए समय पर कार्रवाई करने (लापरवाही अथवा मिलीभगत, यदि कोई हो, को तय करने के लिए) की ओर बैंकों का ध्यान आकर्षित करना, साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इससे बैंक के सामान्य कारोबार एवं उसकी जोखिम वहन करने की क्षमता पर कोई विपरीत असर न होने पाए और उस पर कोई नई एवं भारी जिम्मेदारी न आ पड़े।

इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए इस फ्रेमवर्क में बैंकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए समय-सीमा भी तय की गई है। ऋण की पूरी समयावधि के दौरान समयबद्ध/चरणबद्ध कार्रवाई करने से किसी भी धोखाधड़ी की पहचान करने में बैंक को लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी। धोखाधड़ी के जारी रहने से होने वाली हानि की मात्रा को कम करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उसकी जल्द से जल्द पहचान कर सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। सरकार इस मुद्दे पर अलग से विचार कर रही है कि किस प्रकार कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समय पर एवं समन्वित कार्रवाई की जा सके।

पूर्व चेतावनी संकेत और रेड फ्लैग्ड खाते

धोखाधड़ी जोखिम नियंत्रण के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इस फ्रेमवर्क में आरएफए की संकल्पना की शुरुआत की गई है। रेड फ्लैग्ड खाते (आरएफए) वह है जिसमें एक या अधिक पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) की मौजूदगी से धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि का अंदेशा होने लगे। ऐसे संकेत बैंक को धोखादायक साबित होने वाली किसी भी कमजोरी अथवा गलत गतिविधि के प्रति तत्काल सचेत कर देंगे। बैंकों को ऐसे किसी भी ईडब्ल्यूएस को अनदेखा नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें चेतावनी के रूप में लेते हुए ऐसे आरएफए की विस्तृत जांच पड़ताल आरंभ कर देनी चाहिए। इस प्रकार बैंक द्वारा संकलित ईडब्ल्यूएस किसी खाते को आरएफए के रूप में वर्गीकृत करने का आधार बनेंगे। एक बैंक के स्तर पर आरएफए और ईडब्ल्यूएस के लिए थ्रेशोल्ड है 500 मिलियन रुपए या उससे अधिक का एक्सपोजर, चाहे उधार देने की व्यवस्था (एकल बैंकिंग, अनेक बैंकिंग या कंसोर्शियम) कोई भी हो।

ऋण खातों में ईडब्ल्यूएस का पता लगाने के कार्य को एक अतिरिक्त कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे बैंक की ऋण निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि यह एक सतत प्रक्रिया बन सके तथा ऋण जोखिम एवं धोखाधड़ी जोखिम के परस्पर प्रभाव को देखते हुए यह उधार खातों में किसी संभावित क्रेडिट हानि के लिए चेतावनी का काम करे। खातों के ऑपरेशन का कार्य देखने वाले अधिकारी, चाहे उन्हें किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, को इसकी जानकारी दी जाए कि जैसे ही उन्हें पूर्व चेतावनी संकेतों का अंदेशा हो वे तत्काल उसकी जानकारी धोखाधड़ी निगरानी समूह (एफएमजी) अथवा बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए किसी अन्य समूह को दें। इस पूरी प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए रिपोर्टिंग न किए जाने अथवा रिपोर्टिंग में देरी की स्थिति में ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाए। आरएफए पर एक रिपोर्ट धोखाधड़ी की निगरानी एवं अनुवर्तन के लिए गठित बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएफ) को प्रस्तुत की जाए। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ की गई सुधारात्मक कार्रवाई का संक्षिप्त ब्योरा दिया जाए और साथ ही उनकी मौजूदा स्थिति पर भी प्रकाश डाला जाए।

(पृष्ठ 2 पर जारी)

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
• ऋण धोखाधड़ी पर कार्रवाई करना	1
• बैंक करें आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति	2
• पट्टे/किराए के आधार पर मकान का अधिग्रहण	2
• समीक्षा कैलेंडर	2
सहकारी बैंकिंग	
• बेशी प्रावधान का प्रत्यावर्तन	2
• शाखाएं/विस्तार काउंटर खोलना	2
• प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का कार्यान्वयन	3
भुगतान प्रणालियां	
• एसवीसीपी लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक	3
• सभी नए कार्ड ईएमवी चिप और पिन आधारित होंगे	4
गैर-बैंकिंग विनियमन	
• एनबीएफसी द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों के वितरण संबंधी दिशानिर्देश	4
• आईडीएफ-एनबीएफसी कर सकती हैं अन्य क्षेत्रों में निवेश	4
विदेशी मुद्रा प्रबंध	
• बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - भारतीय रुपए को संगृहीत करना	4
• रुपया आहरण व्यवस्था - व्यापार संबंधित विप्रेषण सीमा में तिगुनी वृद्धि	4
• नेपाल और भूटान को वाणिज्यिक व्यापार	4
• माल/सॉफ्टवेयर के निर्यात की घोषणा	4
• एफसीएनआर (बी) योजना का बंद होना और उसका विप्रेषण	4

बैंक करें आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 मई 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और निजी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों व विदेशी बैंकों को सूचित किया कि वे आंतरिक लोकपाल नियुक्त करें। इस आंतरिक लोकपाल को मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) के रूप में पदनामित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक ने ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बैंकों में ग्राहक शिकायत समाधान के प्रति ध्यान केंद्रित करने हेतु यह पहल की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को एक मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी नियुक्त करना है तथा जिन निजी क्षेत्र के बैंकों व विदेशी बैंकों को मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (आंतरिक लोकपाल) को नियुक्त करने को कहा गया है उनमें आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ऐक्सिस बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक एन.ए. और एचएसबीसी लिमिटेड शामिल हैं। इन बैंकों का चयन उनकी आस्ति के आकार, कारोबार मिश्र आदि के आधार पर किया गया है।

आंतरिक लोकपाल के लिए निर्धारित अपेक्षाओं में से कुछ अपेक्षाएं इस प्रकार हैं : बैंक के सीसीएसओ के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसने उस बैंक में पूर्व में कार्य नहीं किया हो; तथा बैंक का आंतरिक लोकपाल बैंक ग्राहकों को उपलब्ध शिकायत निवारण का एक ऐसा मंच होगा जिसका प्रयोग वे बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने से पहले कर सकते हैं।

रिज़र्व बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना की सुविधा निःशुल्क प्रदान करता है ताकि इसका लाभ सभी को पहुंचाया जा सके। रिज़र्व बैंक बैंकों को शीघ्र ही इस संबंध में विस्तृत परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी करेगा।

ऋण धोखाधड़ी पर कार्रवाई करना

(पृष्ठ 1 से जारी....)

समय रहते पता लगाना और रिपोर्टिंग

ऋण खातों में धोखाधड़ी को रोकने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए बैंकों को ऋण खाते के जीवन-चक्र के दौरान प्रत्येक अवस्था में मज़बूत मूल्यांकन प्रणाली और कारगर ऋण निगरानी तंत्र निम्नानुसार रखना होगा :

(i) मंजूरी-पूर्व अवस्था :बैंक मंजूरी-पूर्व की गई इन जांचों का रिकार्ड मंजूरी दस्तावेज के रूप में रखें;

(ii) संवितरण अवस्था : जोखिम प्रबंधन समूह (आरएमजी) द्वारा संवितरण के समय की जाने वाली जांच में मंजूरी के नियम एवं शर्तों के अनुपालन, इन नियमों एवं शर्तों में दी गई ढील के औचित्य, किस स्तर पर यह ढील दी गई इत्यादि पर ध्यान दिया जाना;

(iii) वार्षिक समीक्षा : हालांकि पूर्व चेतावनी संकेतों की ट्रैकिंग द्वारा किसी खाते पर सतत निगरानी रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन बैंकों को धोखाधड़ी के मद्देनजर खातों की वार्षिक समीक्षा के समय सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा आरएमजी में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह बैंक के प्रमुख ग्राहकों के बारे में बाजार से जानकारी एकत्रित करे और ऋण अधिकारी को उससे अवगत कराए। इसके लिए उसे गोपनीय सूत्रों से जानकारी एकत्र करना, शेयर बाजार की हलचल पर नजर रखना, प्रेस क्लिपिंग सेवा का सहारा लेना, डेटाबेस की सतत रूप से निगरानी करना होगा और केवल उधार लेने वाली संस्था पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे समूह के संबंध में यह कार्रवाई करनी होगी।

इसके अलावा, बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत (i) सेंट्रल रिपॉजिटोरी ऑफ इन्फर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) को रिपोर्ट प्रस्तुत करना; (ii) स्टाफ को जानकार बनाना; (iii) लेखापरीक्षकों की भूमिका; (iv) त्वरित रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना; (v) बैंक, एकल ऋणदाता के रूप में; (vi) कन्सार्शियम या बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत उधार दिया जाना; (vii) स्टाफ की जवाबदेही; (viii) कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज किया जाना; (ix) धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं के संबंध में दंडात्मक उपाय तथा (x) केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री आदि से संबंधित व्यापक दिशानिर्देश शामिल हैं। (डीबीएस.सीओ.सीएफएमसी.बीसी.सं.007/23.04.001/2014-15, 07 मई 2015)

पट्टे/किराए के आधार पर मकान का अधिग्रहण

रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को अपने उपयोग हेतु पट्टे/किराए के आधार पर मकान के अधिग्रहण संबंधी संशोधित मानक व प्रक्रियाएं सूचित की हैं। अब बैंक अपने स्तर पर इस संबंध में निर्धारण करेंगे। तथापि, बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि उनकी शाखाएं ऐसे परिसर पर कार्य न करें जो मौजूदा कानून के मुताबिक अप्राधिकृत हैं। साथ ही, बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे पट्टे पर दी हुई संपत्ति के मालिकों की न्यायपूर्ण शिकायतों की जांच बैंक के समुचित वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर कराएं और ऐसी शिकायतों पर जल्द-से-जल्द कार्रवाई कर उन्हें दूर करें। रिज़र्व बैंक ने यह भी निर्णय लिया है कि विवादास्पद परिसर के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों या बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय को भेजे जाने वाले आवधिक विवरणों को अब बंद कर दिया जाए। (डीबीआर.सं.बीएपीडी.बीसी.92 /22.01.003/2014-15, दिनांक 30 अप्रैल 2015)

समीक्षा कैलेंडर

रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया कि वे रणनीतिक व वित्तीय रूप से महत्व रखने वाले मामलों पर पर्याप्त ध्यान देते हुए कार्यसूची की मदों और उनकी अवधि का समुचित ढंग से निर्धारण करें। इन मामलों के अंतर्गत भारत में बैंकों के बोर्डों के गवर्नेंस की समीक्षा समिति (अध्यक्ष : डॉ. पी.जे. नायक), जो नायक समिति के नाम से मशहूर है, द्वारा स्थूल रूप से विनिर्दिष्ट मुद्दे शामिल हैं। पूर्व में नायक समिति ने सिफारिश की थी कि बैंकों के बोर्डों में की जा रही चर्चा के स्तर को उन्नत बनाया जाए तथा रणनीतिक मुद्दों पर ही अधिक ध्यान दिया जाए।

रिज़र्व बैंक ने पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2015-16 में समीक्षा कैलेंडर प्रथा को बंद करने का प्रस्ताव किया था और उसके बदले नायक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट सात महत्वपूर्ण मुद्दों को स्थान दिया जाए। इनमें शामिल हैं : कारोबार की रणनीति, वित्तीय रिपोर्टें और उनकी सत्यनिष्ठा, जोखिम, अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन एवं मानव संसाधन। रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि बैंक के बोर्डों को उपर्युक्त मदों के अलावा विचार-विमर्श करने हेतु अन्य मदें शामिल करने एवं उनकी आवधिकता तय करने का अधिकार दे दिया जाए। (डीबीआर सं.बीसी.93/29.67.001/2014-15, दिनांक 14 मई 2015)

सहकारी बैंकिंग

बेशी प्रावधान का प्रत्यावर्तन

रिज़र्व बैंक ने बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी है कि वे बेशी प्रावधान को लाभ-हानि खाते में वापस करें यदि प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्रचना कंपनी (आरसी) को बिक्री की जाने वाली वित्तीय आस्तियों का मूल्य अनर्जक आस्तियों के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है। तथापि, बैंक अनर्जक आस्तियों की बिक्री से होने वाले बेशी प्रावधान को केवल तभी वापस कर सकते हैं जब प्राप्त की जाने वाली नकदी राशि (प्रारंभिक प्रतिफल और/या प्रतिभूति प्राप्ति/पास थ्रू प्रमाण-पत्रों के मोचन के माध्यम से) प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्रचना कंपनियों को बिक्री की गई अनर्जक आस्तियों के निवल बही मूल्य से अधिक हो। इसके अतिरिक्त, लाभ-हानि खाते में वापस किए गए बेशी प्रावधान की मात्रा उस सीमा तक सीमित होगी जहां नकदी राशि बिक्री की गई अनर्जक आस्तियों के निवल बही मूल्य से अधिक हो। अनर्जक आस्तियों की बिक्री के कारण लाभ-हानि खाते में वापस किए गए बेशी प्रावधान की मात्रा को 'लेखे की टिप्पणियों' के अंतर्गत बैंक के वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाएगा। (डीसीबीआर.बीपीडी. एमएससीबी). परिपत्र सं.1/ 13.05.000/ 2014-15, दिनांक 14 मई 2015)

शाखाएं/विस्तार काउंटर खोलना

रिज़र्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों के परिचालन क्षेत्र के अंदर शाखाएं/विस्तार काउंटर खोलने के लिए राज्य सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों के मानदंडों और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है। यह निर्णय राज्य सहकारी बैंकों के परिचालन क्षेत्र के अंदर शाखाएं/विस्तार काउंटर/विशेषीकृत शाखाएं खोलने के लिए नीति की समीक्षा करने के बाद लिया गया है। संशोधित मानदंड इस प्रकार हैं:

संशोधित मानदंड इस प्रकार हैं:(i)जोखिम (भारित) पूंजी अनुपात 9 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए; (ii) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान

नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के अनुरक्षण में कोई चूक नहीं हो; (iii)निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) 5 प्रतिशत से कम होनी चाहिए; (iv)पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान विनियामक अनुपालन का अच्छा ट्रैक रिकार्ड हो और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए कोई मौद्रिक दंड नहीं लगाया गया हो।

रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे शाखाएं/विशेषीकृत शाखाएं/विस्तार काउंटर खोलने/शाखाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने/विस्तार काउंटरों का संपूर्ण शाखाओं में अपग्रेडेशन के लिए पूर्व अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करें। (डीसीबीआर.सीओ.आरसीबी.सं.बीसी.34/19.51.008/ 2014-15, दिनांक 7 मई 2015)

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का कार्यान्वयन

रिज़र्व बैंक ने पूर्ण कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) कार्यान्वयन और सीबीएस में आवश्यक माड्यूलों/ बैंकों तथा कारोबार व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के लिए हैंड हेल्ड उपकरणों के सॉफ्टवेयर का निर्माण करने की क्षमता रखने वाले कुछ प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) शुरू करें तथा अटल पेंशन योजना में भागीदारी करें। ऐसे शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे जीवन बीमा निगम (एलआईसी)/जीआईपीएसए या अपनी पसंद की अन्य बीमा कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) को अंतिम रूप दें, जो कंपनियां इस प्रयोजन के लिए आवश्यक अनुमोदन और शहरी सहकारी बैंकों के साथ टाइ-अप के साथ समान शर्तों पर बीमा उत्पाद प्रस्तावित करने के इच्छुक हैं जैसाकि इन योजनाओं में उल्लेख किया गया है। अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए शहरी सहकारी बैंक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के सहयोग से ऑन लाइन नामांकन करने के लिए अपने सीबीएस पैकेज और कारोबार प्रतिनिधियों के हैंड हेल्ड उपकरणों के लिए सॉफ्टवेयर में इस प्रयोजन हेतु आवश्यक मॉड्यूल की शुरुआत करें। पावती पर्ची एपीवाई के लिए पावती-सह-पंजीकरण पर्ची पर दी जाए।

शहरी सहकारी बैंक इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं और रिज़र्व बैंक को नोडल अधिकारी के फोन नंबरों, ईमेल पतों के ब्यौरों के साथ उनके बैंक का नाम, पता और नोडल अधिकारी का नाम जैसे पूरे ब्यौरे रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत करें जिससे कि इन्हें आगे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जा सके। योजनाओं के ब्यौरे वेबसाइट www.jansuraksha.gov.in/ www.financialservices.gov.in पर उपलब्ध हैं। (डीसीबीआर.बीपीडी (पीसीबी) परिपत्र सं. 8/ 12.05.001/ 2014-15, दिनांक 5 मई 2015 और डीसीबीआर.बीपीडी (पीसीबी) परिपत्र सं. 9/ 12.05.001/ 2014-15, दिनांक 21 मई 2015)

भुगतान प्रणालियां

एसवीसीपी लेनदेनो के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक

रिज़र्व बैंक ने 14 मई 2015 को सभी मर्चंट श्रेणियों में छोटे मूल्य के लिए कार्ड प्रस्तुत कर किए जाने वाले लेनदेन के प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता में छूट दी। यह कार्ड आधारित लेनदेनों में सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्राहक विश्वास में वृद्धि करने के लिए रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्कों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया है कि -

i. प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफ़ए) की आवश्यकता में छूट केवल प्रति लेन-देन अधिकतम रु 2,000 मूल्य के लेन-देन के लिए दी गई।

ii. प्रति लेन-देन रु 2000 की सीमा देश के सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए होगी जहां इस तरह के संपर्क रहित भुगतान स्वीकार किए जाएंगे;

iii. लेन-देन की इस सीमा से परे कार्ड को एक संपर्क भुगतान के रूप में प्रोसेस किया जाएगा और पिन (एएफ़ए) के साथ प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा;

iv. इस सीमा से कम मूल्य के लेनदेनों के लिए भी ग्राहक संपर्क भुगतान के रूप में भुगतान करने का चुनाव कर सकता है जिसे जारीकर्ता और अधिग्राहक बैंक दोनों ही के द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अन्य शब्दों में ग्राहक को संपर्क रहित लेनदेन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

v. बैंक अपने ग्राहकों को प्रति लेन-देन की कम सीमा निर्धारित करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार की कार्ड आधारित सीमाओं के आधार पर संपर्क रहित भुगतान के प्रमाणीकरण का उत्तरदायित्व कार्ड जारी करने वाले बैंकों का होगा;

vi. लेनदेनों की यथोचित संख्या जांच (अर्थात, एक दिन / सप्ताह / माह में इस प्रकार के छोटे मूल्य के कितने लेनदेनों को अनुमति दी जाएगी) बैंकों द्वारा किया जाएगा; और

vii. संपर्क रहित कार्ड आवश्यक रूप से यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीज़ा (ईएमवी) भुगतान मानकों का पालन करने वाले चिप वाले कार्ड होंगे, ताकि वे मौजूदा कार्ड स्वीकृति के बुनियादी ढांचे जो इस संबंध में दिये गए पूर्व अधिदेश के अनुसरण में ईएमवी का अनुपालन करते हों, में सभी जगहों पर स्वीकार किए जा सकें।

इसके अलावा, ग्राहक जागरूकता और सुरक्षा के हित में बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वेः

i. ग्राहकों को इस प्रकार के संपर्क रहित कार्ड जारी करते समय स्पष्ट रूप से इसकी तकनीकी, इसके उपयोग और जोखिम के बारे में विवरण प्रदान करें;

ii. ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें बताएं कि वे कार्ड पर "संपर्क" लोगो को देखें/पहचानें (अन्य कार्ड और इस कार्ड में अंतर समझने के लिए) और साथ ही साथ व्यापारिक स्थान / पीओएस टर्मिनल (यह पहचान करने के लिए कि संपर्क रहित भुगतान किन स्थानों में स्वीकार किए जाते हैं) की पहचान करें;

iii. ग्राहकों को स्पष्ट रूप से यह बताएं कि वे इस कार्ड का उपयोग संपर्क रहित कार्ड मोड में (पिन प्रमाणीकरण के बिना) 2,000 रुपये मूल्य के लेनदेनों तक ऐसे स्थानों में ही कर सकते हैं जहां इस प्रकार के संपर्क रहित भुगतान स्वीकार किए जाते हैं और ग्राहकों को इस बात से भी अवगत कराएं कि वे इस कार्ड का उपयोग एक साधारण चिप कार्ड (पिन प्रमाणीकरण के साथ) के रूप में किसी भी स्थान पर कर सकते हैं चाहे लेनदेन का मूल्य कुछ भी क्यों न हो;

iv. इस प्रकार के कार्ड के खो जाने की स्थिति में बैंक को सूचित करने के साथ-साथ इस प्रकार का कार्ड जारी करते समय यह बात स्पष्ट रूप से बता दें कि अधिकतम देयता ग्राहक की होगी, यदि कोई हो;

v. खोए हुए / चोरी हुए कार्डों की निर्बाध रिपोर्टिंग के लिए व्यवस्था शुरू की जाए जिसे कई माध्यमों (वेबसाइट, फोन बैंकिंग, एसएमएस, आईवीआर इत्यादि) से एक्सेस किया जा सकता है।

रिज़र्व बैंक ने यह भी संकेत दिया है कि यह छूट (i) एटीएम लेनदेन चाहे लेनदेन मूल्य कुछ भी हो; और (ii) बिना कार्ड प्रस्तुत कर किए जाने वाले लेनदेन (सीएनपी) पर लागू नहीं होगी।

रिज़र्व बैंक बैंक पहले अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर 13 मार्च 2015 को ''छोटे मूल्य के कार्ड प्रस्तुत कर किए जाने वाले लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता में छूट'' पर प्रारूप परिपत्र डाला था, जिस पर 4 अप्रैल 2015 तक आमजनता को टिप्पणियां प्रस्तुत करनी थी। विभिन्न वर्गों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए इस छूट पर विचार किया गया, इन अनुरोधों में नवोन्मेष भुगतान उत्पाद विकसित करने की आवश्यकता की ओर संकेत किया गया था जिससे कि कुछ प्रकार के कार्डों के उपयोग में सुविधा कारक में संवर्धन किया जा सके। (डीपीएसएस.सी.ओ.पी.डी. सं. 2163/02.14.003/2014-2015, दिनांक 14 मई 2015)

सभी नए कार्ड ईएमवी चिप और पिन आधारित होंगे

रिज़र्व बैंक ने 7 मई 2015 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/क्रेंदीय सहकारी बैंकों/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों/प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्कों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया कि 1 सितंबर 2015 से बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले सभी कार्ड - डेबिट और क्रेडिट - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ईएमवी चिप और पिन आधारित कार्ड होंगे। मौजूदा मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्डों के लिए स्टेकधारकों के साथ परामर्श कर अंतरण योजना बनाई जाएगी और इसकी समय-सीमा के बारे में यथासमय सूचित किया जाएगा। (डीपीएसएस (सीओ) पीडी सं.2112/ 02.14.003/ 2014-15, दिनांक 7 मई 2015)

गैर-बैंकिंग विनियमन

एनबीएफसी द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों के वितरण संबंधी दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए म्यूच्युअल फंड उत्पादों के वितरण के संबंध में रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की अपेक्षा और तत्संबंधी न्यूनतम पात्रता मानदंड को बंद कर दिया। किंतु जो एनबीएफसी म्यूच्युअल फंडों का वितरण करना चाहती है उन्हें निम्नलिखित शर्तों का पालन करना है :

(i) परिचालनात्मक पहलू

(क) एनबीएफसी को म्यूच्युअल फंड उत्पादों के वितरण से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों / विनियमावली, जिसके साथ आचार संहिता भी शामिल है, का पालन करना चाहिए;

(ख) एनबीएफसी अपने ग्राहकों को ऐसा कोई खास म्यूच्युअल फंड उत्पाद लेने के लिए मज़बूर न करें जिसका प्रायोजन वह करती हो। ग्राहकों को अपनी इच्छानुसार विकल्प चुनने दे दिया जाए;

(ग) एनबीएफसी के ग्राहकों द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का खरीदा जाना केवल स्वैच्छिक आधार पर हो और यह सूचना एनबीएफसी द्वारा वितरित की जाने वाली सभी प्रचार सामग्री में साफ-साफ दे दी जाए। एनबीएफसी द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं के प्रावधानों और म्यूच्युअल फंड उत्पादों के वितरण के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई 'संबंध' न हो;

(घ) एनबीएफसी केवल अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करे, जैसे भुगतान लिखतों के साथ म्यूच्युअल फंड यूनिटों की खरीद/बिक्री के आवेदनों को म्यूच्युअल फंड/रजिस्ट्रार/ट्रैंस्फर एजेंटों को अग्रेषित करना। यूनिटों की खरीद ग्राहकों के जोखिम पर हो और आश्वस्त प्रतिफल के लिए एनबीएफसी की कोई गारंटी न हो;

(ङ) एनबीएफसी न तो द्वितीयक बाज़ार से म्यूच्युअल फंडों को अपने ग्राहकों को बेचने के लिए अर्जित कर सकेगी न ही वह अपने ग्राहकों से म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों को बाई बैक कर सकेगी;

(च) अपने ग्राहकों की ओर से म्यूच्युअल फंडों की अभिरक्षा रखने वाली एनबीएफसी के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि वह अपने निवेशों और अपने ग्राहकों के निवेशों को अलग-अलग रखे।

(ii) अन्य पहलू के अंतर्गत शामिल हैं : (क) एनबीएफसी के पास म्यूच्युअल फंड वितरण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक नीति हो; (ख) ऐसी गतिविधि से जुड़ी एनबीएफसी को सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट आचार संहिता, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी दिशानिर्देशों, धनशोधन निवारण अधिनियम के उपबंधों तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य निबंधन व शर्तों का पालन करना चाहिए। (डीएनबीआर. (पीडी).सीसी.सं 033/03.10.001/2014-15, 30 अप्रैल 2015)

आईडीएफ-एनबीएफसी कर सकती हैं अन्य क्षेत्रों में निवेश

रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करने के उपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आईडीएफ-एनबीएफसी) को ऐसे क्षेत्रों में पदार्पण करने की अनुमति दी है जहां किसी परियोजना प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं है। निवेशों, पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनार्थ जोखिम भार और क्रेडिट संकेंद्रण मानकों से संबंधित संशोधित निदेशों में तदनुसार संशोधन किया गया। (डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.035/03.10.001/2014-15, 14 मई 2015)

विदेशी मुद्रा प्रबंध

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - भारतीय रुपए को संगृहीत करना

रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी (श्रेणी-I) बैंकों को सूचित किया है कि मान्यता प्राप्त अनिवासी बाह्य वाणिज्यिक उधारदाता अपने समुद्रपारीय बैंक के साथ स्वैप लेनदेन कर सकते हैं जो बदले में भारतीय रुपया संगृहीत करने के लिए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैक-टू-बैक स्वैप लेनदेन करेगा। (ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 103, दिनांक 21 मई 2015)

रुपया आहरण व्यवस्था - व्यापार संबंधित विप्रेषण सीमा में तिगुनी वृद्धि

रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत अनुमत लेनदेनों की समीक्षा करने पर रिज़र्व बैंक ने 21 मई 2015 को व्यापार लेनदेनों की सीमा तत्काल प्रभाव से प्रति लेनदेन मौजूदा ₹5,00,000/- (पांच लाख रुपए मात्र) से बढ़ाकर प्रति लेनदेन ₹15,00,000/- (पंद्रह लाख रुपए मात्र) कर दी है। इसके अतिरिक्त प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को निर्धारित शर्तों के अधीन आरडीए के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान को नियमित करने की अनुमति प्रदान की है। (ए.पी.(डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 102, दिनांक 21 मई 2015)

नेपाल और भूटान को वाणिज्यिक व्यापार

रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से स्पष्ट किया है कि नेपाल और भूटान के आयातकों को भारत से वाणिज्यिक व्यापार के अंतर्गत तृतीय देशों से भेजा जाने वाला माल मार्गस्थ ट्रैफिक के रूप में माना जाएगा यदि यह माल क्रमशः इंडिया-नेपाल मार्गस्थ संधि और इंडो-भूटान मार्गस्थ संधि के प्रावधानों के अनुसार अनुपालित है। (ए.पी.(डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 97, दिनांक 30 अप्रैल 2015)

माल/सॉफ्टवेयर के निर्यात की घोषणा

रिज़र्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक डाटा आदान-प्रदान (ईडीआई) पोर्टों के माध्यम से होने वाले निर्यात के मामले में माल/सॉफ्टवेयर के निर्यात के सांविधिक घोषणा पत्र (एसडीएफ) में घोषणा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है क्योंकि एसडीएफ में निहित अनिवार्य सांविधिक आवश्यकताओं को पोतलदान बिल फार्मेट में शामिल कर लिया गया है। (ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.101, दिनांक 14 मई 2015)

एफसीएनआर (बी) योजना का बंद होना और उसका विप्रेषण

रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी (श्रेणी-I) बैंकों को स्पष्ट किया है कि ए2 फार्म का उपयोग रुपया निधि से विदेशी मुद्रा की खरीद करने के समय पर भरा जाना चाहिए और इसलिए विदेशी मुद्रा अनिवासी निधियों (एफसीएनआर-बी) के विप्रेषण पर यह लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त बैंकों को प्रौद्योगिकी की सहायता से खाताधारक के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर बल दिए बिना लेनदेन की असलियत सुनिश्चित करने के लिए बेहतर विकल्प/पद्धातियां खोजनी होंगी जिससे कि खाताधारक को निधियों का निर्बाध विप्रेषण हो सके। (ए.पी.(डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 98, दिनांक 14 मई 2015)

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**